राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता	अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता
1.	144 / 2025	अशोक कुमार	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्राथमिक शिक्षा, उदयपुर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, छींड, जिला कोटपूतली–बहरोड़।	श्री महिपाल खर्रा	श्री राकेश कुमार सैनी
2.	145 / 2025	तेजकरण सहरिया	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर ग्रामीण। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खोराखड़ी, जिला बारां।		
3.	146 / 2025	हरिमोहन मालव	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कनवास, जिला कोटा। 5. करण सिंह, बेसिक कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कनवास, जिला कोटा।		

प्रस्तुत करने की दिनांक : 08.01.2025
आदेश की दिनांक : 17.01.2025

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 144 / 2025 अशोक कुमार बनाम प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

3. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में पैरा टीचर के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, छींड, बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, छींड, बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड़ से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जलवाहू की ढ़ाणी, बानसूर में अध्यापक लेवल–I के विरूद्ध स्थानांतरित किया गया है। अपीलार्थी का नाम क्रमांक 51 पर दर्शाया गया है। अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से अधिशेष घोषित किया गया है (अनुलग्नक–1)।
4. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी का पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही पदस्थापित रखा जावे। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी की सेवाएं स्थानांतरित करने से पूर्व ऐसी कोई कवायद नहीं की गई है और अपीलार्थी को उसी प्रखंड में दूरस्थ स्थान पर समायोजित कर स्थानांतरित कर दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आक्षेपित आदेश दिनांक 06.12.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23.12.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को निरन्तर वर्तमान पदस्थापन स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, छींड बानसूर, कोटपूतली–बहरोड़ में ही कार्य करने दिया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे अथवा उसी ब्लॉक के विद्यालयों में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जावे। उपरोक्त समस्त अपीलों में उक्त समान आधार लिए गए है।
5. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थीगणों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
6. अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार

व विभाग के नियमों/दिशा—निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

7. अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

8. मूल आदेश अपील संख्या 144/2025 अशोक कुमार बनाम प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)